न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **आलोक रंजन,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 020/2025 (अपील रसद)
पंजीयन दिनांक 17.09.2025
G.C.M.S. NO. :- 2025/225

राज्य सरकार जरिये सुमन तिवारी, प्रवर्तन अधिकारी, चित्तौड़गढ़

–प्रार्थी

बनाम

श्री लक्ष्मण पिता उदयराम सुथार, जाति सुथार, निवासी गणेशपुरा, चित्तौड़गढ़

–विपक्षी

कार्यवाहीः–प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश, 2005 के तहत अभिगृहित सामग्री के निस्तारण बाबत।

उपस्थिति : 1–प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 18.02.2026

प्रस्तुत प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 12.08.2025 को सांय 8.30 बजे घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर से टी स्टॉल पर चाय बनाने की प्राप्त शिकायत के आधार पर जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के नेतृत्व में जय मां जोगणिया टी स्टॉल, जिंक कॉलोनी, गणेशपुरा, चित्तौड़गढ़ में मौके पर पहुंच जांच की गई तो, मौके पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 0202025 (अपील रसद)
राज्य सरकार जरिए सुमन तिवारी, प्रवर्तन अधिकारी, चित्तौड़गढ़ बनाम लक्ष्मण पिता उदयराम सुथार निवासी गणेशपुरा, तहसील चित्तौड़गढ़

जय मां जोगणिया टी स्टॉल पर 02 घरेलू श्रेणी के इण्डेन कम्पनी के गैस सिलेण्डर का अवैध भण्डारण होना पाया गया। मौके पर कार्य कर रहे लक्ष्मण पिता उदयराम सुथार निवासी गणेशपुरा से पूछताछ करने एवं घरेलू गैस के भण्डारण संबंधी दस्तावेज मांगने पर मौके पर उपलब्ध नहीं करवाये व न ही उक्त गैस सिलेण्डरों से संबंधित दस्तावेज उनके पास मौके पर होना बताया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश, 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया जाने से मौके पर उक्त 2 घरेलू गैस सिलेण्डर इण्डेन गैस कम्पनी के जब्त कर, उक्त जब्त शुदा सामग्री के निस्तारण हेतु यह प्रकरण प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना-पत्र जारी किया गया। विपक्षी स्वयं उपस्थित हुआ तथा प्रकरण में जवाब पेश नहीं करके सीधे बहस हेतु निवेदन किया। अतः बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

पैरोकार सरकार का मुख्य कथन यह रहा कि सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक अथवा अन्य कोई उपयोग नही किया जा सकता है। दिनांक 12.08.2025 को शिकायत के आधार पर जय मां जोगणिया टी स्टॉल गणेशपुरा का निरीक्षण करने पर विपक्षी के कब्जे में घरेलू गैस के 02 सिलेण्डर अनाधिकृत पाए गए जिनका कोई दस्तावेज विपक्षी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया तथा मौके पर उससे चाय बनाने हेतु व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था इस प्रकार विपक्षी द्वारा घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक/अन्य उपयोग करना पाया गया जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2005 का स्पष्ट उल्लंघन होने से धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्त शुदा गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात **(Confiscate)** किये जाने योग्य है।

विपक्षी ने मौखिक रूप से घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर से चाय बनाकर उनका व्यवसायिक उपयोग करना स्वीकार करते हुए जब्तशुदा गैस सिलेण्डर पुनः उसे लौटाये जाने हेतु निवेदन किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 0202025 (अपील रसद)
राज्य सरकार जरिए सुमन तिवारी, प्रवर्तन अधिकारी, चित्तौड़गढ़ बनाम लक्ष्मण पिता उदयराम सुथार निवासी गणेशपुरा, तहसील चित्तौड़गढ़

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा जय मां जोगणिया टी स्टॉल, गणेशपुरा का निरीक्षण करने पर मौके पर टी स्टॉल में घरेलू श्रेणी के 02 गैस सिलेण्डर इण्डेन गैस कम्पनी के अनाधिकृत रूप से भण्डारण करना तथा मौके पर उक्त गैस सिलेण्डरों से चाय बनाकर उनका व्यवसायिक उपयोग करना एवं मौके पर उपस्थित विपक्षी से उक्त गैस सिलेण्डरों के वैध दस्तावेज मांगने पर उनके द्वारा उक्त सिलेण्डरों के वैध दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

इस प्रकार विपक्षी द्वारा गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग हेतु अवैध भण्डारण करना पाया गया, जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2005 का स्पष्ट उल्लंघन एवं धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक उपयोग नही किया जा सकता है। विपक्षी द्वारा गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया है तथा विपक्षी ने स्वयं उक्त तथ्य को स्वीकार भी किया है। अतः जब्त शुदा एल. पी. जी. गैस के घरेलू श्रेणी के 02 गैस सिलेण्डर जिनमें भरी हुई कुल 29.8 कि. ग्रा. गैस राजसात **(Confiscate)** किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार करते हुए जब्त शुदा घरेलू श्रेणी के 02 गैस सिलेण्डर जिनमें भरी हुई कुल 29.8 कि. ग्रा. गैस राजसात **(Confiscate)** करने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी उक्त गैस सिलेण्डरों के निस्तारण की कार्यवाही कर पालना से अवगत करावें।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(आलोक रंजन)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official